रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D (D.N.)-72

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 1982/श्रावण 12, 1904
No. 142] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 1982/SRAVANA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1982

सं० 12 (48) 82-सी०एस०एम० —भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग से संबंधित समस्याओं पर गौर करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति गठित करने का विनिश्चय किया है । समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय निम्नोक्त प्रकार होंगे —

1 गठन

1 श्री वी०एस०देशपांडे — अध्यक्ष
(भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, बम्बई उच्च न्यायालय) ।

2 निम्नांकित ट्रेड यूनियनों का एक-एक प्रतिनिधि

(1) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

(2) नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन ।

(3) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

(4) सेंटर फार इंडियन ट्रेड यूनियनस ।

(5) हिन्द मजदूर सभा (विशिष्ट दल) ।

3 सूती वस्त्र मिल उद्योग के पांच प्रतिनिधि ।

4 केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधि ।

5 तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात की सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि ।

2 विचारार्थ विषय

(क) (1) वस्त्र मिल उद्योग के कामगारों की समस्याओं की जांच करना तथा उनके बारे में रिपोर्ट देना ।

(2) उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता सहित वस्त्र मिल उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं की जांच करना तथा उनके बारे में रिपोर्ट देना ।

(3) उपरोक्त (1) तथा (2) की सिफारिशें देश के समस्त वस्त्र मिल उद्योग से संबंधित होंगी ।

(ख) समिति एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और कामगारों से संबंधित उसकी सिफारिशें समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जायेंगी ।

(ग) बम्बई वस्त्र मिल उद्योग के सामने कुछ खास समस्यायें आती रही हैं । तदनुसार, समिति निम्नांकित पर रिपोर्ट देगी

(5) (1) बंबई कामगारों (2) कामगारों की मकान किराया भत्ते की मांग (3) कामगारों को सवारी भाड़ा की मांग का समस्या । समिति इन मामलों के बारे में दो महीनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगी और उसकी सिफारिशों को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा ।

(6) बम्बई की वस्त्र मिलों के कामगारों को अतिरिक्त मजदूरी दिए जाने की मांग पर समिति द्वारा 6 महीने की अवधि के भीतर जांच करके रिपोर्ट दे दी जायेगी ।

(7) जो अन्य समस्यायें समिति को बताई जायें या जिन पर समिति रिपोर्ट देना चाहे उनके बारे में समिति द्वारा सरकार को एक वर्ष की अवधि के भीतर रिपोर्ट दी जायेगी ।

2. समिति को सचिवालय संबंधी सहायता वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी । समिति अपनी स्वयं की कार्यविधि निर्धारित करने के लिये स्वतन्त्र होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सामान्य जानकारी के लिये दिनांक 14 अगस्त, 1982 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाए ।

ए०के० दत्त, सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textile)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th August, 1982

No. 12(48)82-CSM.—The Government of India have decided to constitute a Tripartite Committee to look into problems connected with the Textile industry. The composition and terms of reference of the Committee will be as follows :

I. Composition :

1. Shri V. S. Deshpande (Ex-Chief Justice, Bombay High Court) —Chairman
2. A representative each of the following trade unions :
   (i) Indian National Trade Union Congress.
   (ii) National Labour Organisation
   (iii) All India Trade Union Congress
   (iv) Centre for Indian Trade Unions
   (v) Hind Mazdoor Sabha (Vasisht Group)
3. Five representatives of the cotton textile mill industry.
4. Two representatives of Central Government.
5. One representative each of the Governments of Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat.

II. Terms of reference :

(A) (1) Examine and report on the problems of textile mill industry workmen.

(2) Examine and report on the problems being faced by the textile mill industry including the need to modernise the industry.

(3) The recommendations at (1) and (2) above will relate to the entire textile mill industry in the country.

(4) The Committee will give its report within a period of one year and its recommendations relating to workmen will be implemented in a time-bound manner.

(B) The Bombay Cotton Textile Industry has been facing certain specific problems. Accordingly, the Committee shall give reports on :

(5) The problem of (i) Badli workers (ii) demand of workmen for house rent allowance (iii) Demand of workmen for conveyance allowance. The Committee shall report on these matters within a period of two months and its recommendations shall be implemented at the earliest possible.

(6) The demand of textile mill workmen of Bombay for grant of additional wages will be enquired into and reported on within a period of six months by the Committee.

(7) Such other problems as may be referred to the Committee or as the Committee may like to report on shall be reported by the Committee to the Government within a period of one year.

2. Secretarial assistance to the Committee shall be provided by the office of the Textile Commissioner. The Committee shall be free to devise its own procedure.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 of 13th August, 1982 for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Union Territories.

A. K. DUTT, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982